

प्रपत्र-4

परियोजना का नाम— जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर तवाघाट से सिलाड़ मोटर मार्ग (3.150 किमी०) तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

• प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 24/05/15 को प्रश्नगत परियोजना के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री मोहन चंद्र पाण्डेय वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री मनोज महतोड़ी उपराजस्व निरीक्षक, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री लुधर कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि शून्य हे०, सिविल सोयम वन भूमि 0.810 हे०, वन पंचायत भूमि शून्य हे० एवं नाप भूमि 2.025 हे० प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरक्षण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से सिलाड़ ग्राम की 358 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

आवेदित वन भूमि में 11 वृक्षों व नाप भूमि पर 02 वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

उक्त मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि 9.00 मी० चौड़ाई में प्रत्यावर्तित किये जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। परन्तु वृक्षों का पातन मात्र 7.00 मी० चौड़ाई में ही कराया जायेगा। पातन होने वाले वृक्षों की गणना 7.00 मी० चौड़ाई में ही की गयी है।

ह०/-
राजस्व विभाग का प्रतिनिधि

ह०/-
वन विभाग का प्रतिनिधि

ह०/-
प्रयोक्ता एजेंसी का प्रतिनिधि

ह०/-
ग्राम प्रधान

ह०/-
ग्राम पंचायत अध्यक्ष

ह०/-
तहसीलदार

ह०/-
जिलाधिकारी

ह०/-
वन क्षेत्र अधिकारी

ह०/-
प्रभागीय वनाधिकारी

ह०/-
अधीक्षक अभियन्ता

ह०/-
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०

ह०/-
अधीक्षक अभियन्ता

ह०/-
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०

ह०/-
चम्पावत

ह०/-
चम्पावत वन प्रभाग

ह०/-
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत